न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 62/2017

रामधन मीणा पुत्र प्रभू लाल मीणा निवासी यशोदानन्दनपुरा की पापली वाली ढाणी पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 23.011.2017

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2017 को ऑल लाईन प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक ने सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मुझे निम्न सूचनाये ग्राम यशोदानंदनपुरा व राजधिराजपुरा के चरागाहो की बिन्दूवार देने की कृपा करे।

1– ग्राम यशोदानंदनपुरा के संदर्भ मेः–

क–कुल चरागाह रकबा कितना है।

ख–बीसलपुर बॉध के डूब क्षेत्र मे आने वालो के पुर्नवास हेतु कितना नियत किया गया है। नजरी नक्से की प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करे।

ग–इस गांव के चरागाह को और किस रूप यथा आबादी,स्कूल या अन्य के लिए कहां पर 2009 से लेकर अब तक आवंटित किया गया है।

ध–अगर किसी को आबादी का पट्टा दिया गया है तो किसे कब व कितना बीघा/बिस्वा उसकी भी प्रतिलिपि संलग्न करे।

ड–क्या अभी हाल ही मे चल रहे नरेगा कार्य को भी इस(चरागाह मे) मे संपन्न कराया जा सकता है।

2– ग्राम राजधिराजपुरा के विशेष संदर्भ मेः–

क–कुल चरागाह रकबा कितना है।

ख–कितने बीधा या बिस्वा पर अतिक्रमण हो गया है या जारी है।

ग–इस चरागाह मे से कितना हिस्सा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नियत किया गया है।

जिला कलेक्टर
टोंक

ध–कितना हिस्सा खेल मेदान व अन्य किसी सरकारी उपक्रम हेतु संरक्षित है प्रतिलिपि संलग्न करे।
ड–अगर इस चरागाह मे से किसी को आबादी मे रूपांतरित करके किसी को पट्टा प्रदान किया गया है तो किस–किस को व कब 2009 से लेकर अब तक किनको कहॉ पर पट्टा ग्राम पंचायत तुर्किया द्वारा वितरित किया गया है उन सबकी प्रतिलिपियां प्रदान करे।
च–इस चरागाह पर हो रहे अतिक्रमण पर ग्राम पंचायत तुर्किया ने अब तक कोई सकारात्मक पहल की है या अतिक्रमण हुआ ही नही है। अगर कोई पहल की गई है तो उसकी प्रतिलिपि संलग्न करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र क्रमांक 1605 दिनांक 10.10.2017,1673दिनांक 18.10.2017,1729 दिनांक 30.10.2017,1787 दिनांक 08.11. 2017 व 1821 दिनांक 15.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार दत्तवास तहसील निवाई ने पत्र क्रमांक 894 दिनांक 09.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 13.10.2017 को सूचना उपलब्ध करवादी गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई व नायब तहसीलदार दत्तवास तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक